वि.स.ता.प्र.क्र.-2559 - प्र.उ.भि. 03 [24/3/2025]

रजिस्टर्ड ड़ाक से

प्रश्न सं. [क्र. 2559]

लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल–462023

क्रमांक / स्था–1 / सर्त. / सी–1 / वि.सभा2559 / भिंड / 2024 / 324 भोपाल,दिनांक 12/3/2025

प्रति,

श्री दीपक कुमार पाण्डे
संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण ,ग्वालियर,म.प्र.।

विषयः–स्पष्टीकरण का उत्तर प्रस्तुत करने बाबत्।

---00---

यह कि, म.प्र. विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2559 दिनांक 24.03.2025 का उत्तर जिला स्तर से उपलब्ध कराया गया है। उक्त उत्तर के प्रश्नांश 'ख' एवं 'ग' के संबंध में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, भिंड द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रों को आपकी ओर पृष्ठांकित किया जाना पाया गया है किन्तु प्राप्त उत्तर से यह परिलिक्षित होता है कि आपके द्वारा उक्त प्रकरण को संज्ञान में नहीं लिया गया और न ही संबधितों के विरुद्व न तो कोई कार्यवाही की गई न ही वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया गया।

2/ आपके संभाग अंतर्गत अनेक जिलों के विधानसभा प्रश्न के उत्तर आपके माध्यम से संचालनालय को उपलब्ध कराने हेतु लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक / विधानसभा / बजट सत्र / 2025 / 38 भोपाल दिनांक 13.02.2025 द्वारा विधानसभा सत्र (मार्च) 2025 के प्रश्नों के उत्तर भेजने के निर्देश दिये गये है , किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों का पालन भी नहीं किया गया। तत्संबंध में संबधित कक्ष के अधिकारियों द्वारा निरंतर आपको दूरभाष पर निर्देशित किया जाता रहा, किन्तु आपके संभाग अंतर्गत अनेक जिलों के उत्तर एकजाई कर आपके द्वारा भेजने में कोई रूचि नही ली गई। आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम–1965 के प्रावधानों के विपरीत है।

अतः आप उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 03 दिवस की समय सीमा में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयसीमा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किये जाने पर आपके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जा सकेगी।

11/3

(शिल्पा गुप्ता)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / स्था–1 / सर्त. / सी–1 / वि.सभा2559 / भिंड / 2024 / 325 भोपाल,दिनांक 12/3/2025

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर म.प्र.

11/3

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा)

वि.स.तारां.प्रश्न 2559 परिशिष्ट-03 (2)

रजिस्टर्ड ड़ाक से

लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल–462023

क्रमांक / स्था–1 / सर्त. / सी–1 / वि.सभा2559 / भिंड / 2024 / 322 भोपाल,दिनांक 12/3/2025
प्रति,

श्री रामदास मित्तल
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
जिला भिंड ,म.प्र.।

विषयः–कारण बताओं सूचना पत्र।

---00---

यह कि म.प्र. विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 2559 का प्रश्न के अनुरुप उत्तर एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने के संबंध में संचालनालय स्तर से आपको निर्देश दिये गये थे किन्तु उक्तानुसार कार्यवाही न कर आपके द्वारा प्रश्नांश 'ख' एवं 'ग' के संबंध में कार्यालयीन अभिलेख तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी भिंड द्वारा कार्यालय भिंड में उपलब्ध नही कराने के संबंध में आपके पत्र दिनांक 07.03.2025 संचालनालय में प्राप्ति दिनांक 12.03.2025 द्वारा श्री सुरेश शक्य वरिष्ठ लेखा परीक्षक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला भिण्ड के विरुद्व यथासमय नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही नही की गई। सक्षम अधिकारी को यथासमय प्रस्ताव भी उपलब्ध नही कराया गया । संचालनालय के पत्र दिनांक 20.05.2024 द्वारा श्री तोमर के द्वारा एक सप्ताह में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु निर्देशित करने के उपरांत भी आपके द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज नही कराई गई।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर अनुशासनहीनता ,अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति धोर उदासीनता / लापरवाही बरती जाने व गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतएव मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम–16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाता है कि क्यों न आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे? आप उपरोक्त विषय में अपना प्रतिवाद उक्त सूचना पत्र प्राप्ति दिनांक से 07 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। निश्चित समयावधि में प्रतिवाद प्राप्त न होने की दशा में एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

(शिल्पा गुप्ता)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था–1 / सर्त. / सी–1 / वि.सभा2559 / भिंड / 2024 / 323 भोपाल,दिनांक 12/3/2025
प्रतिलिपिः–

1. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला भिंड म.प्र.।
3. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र. की ओर कारण बताओ सूचना पत्र की अतिरिक्त प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्री रामदास मित्तल जिला शिक्षा अधिकारी भिंड को तत्काल तामील कराकर पावती संचालनालय को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें।
4. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भिंड म.प्र

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा)

वि.स. नाम. प्र. क्र. 2559 परिशिष्ट-06

3

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल–462023

क्रमांक / स्था–1 / सर्त. / सी–1 / 347 / भिंड / 2023 / 666 भोपाल,दिनांक 20.5.24

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी

भिण्ड,म.प्र. ।

विषयः– अनुशासनात्मक कार्यवाही विरुद्व श्री एस०के० गौतम, प्राचार्य शा.उमावि अकोडा,श्री पी.एस.चौहान, प्राचार्य शा.उमावि क्र.02 भिण्ड, श्री एम0के0 तायल प्राचार्य शा.हाईस्कूल क्यारी पुरा समस्त पूर्व आहरण संवितरण विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जिला भिण्ड व अन्य के संबंध में ।

संदर्भः– संचालनालय का पत्र क्र. / स्था–1 / सर्त. / सी–1 / 347 / भिंड / 2023 / 209 भोपाल दिनांक 07.02.2024 ।

विषयांकित संदर्भित पत्र के कम में आपसे प्राप्त पत्र कमांक / शिका. / गबन / 2024 / 1053 भिण्ड दिनांक 10.02.2024 का अवलोकन किया गया। उक्त पत्र द्वारा आपने अवगत कराया है कि प्रकरण की मूल नस्तियां पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड श्री हरिभवन सिंह तोमर के पास रखी है एवं श्री तोमर से पत्राचार कर प्रकरण से संबंधित नस्तियां वापिस कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड में जमा करने का आग्रह किया गया है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि यदि श्री हरिभवन सिंह तोमर द्वारा संबंधित मूल नस्तियां 07 दिवस में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड में उपलब्ध नही कराई जाती है तो उनके विरुद्व तत्काल संबंधित थाने मे एफ.आई.आर दर्ज कराकर पालन प्रतिवेदन संचालनालय को उपलब्ध करावें ।

2) आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. ने पत्र दिनांक 02.09.2023 द्वारा कलेक्टर भिण्ड़ से कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जिला भिण्ड में पदस्थ दोषी अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्व नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। यदि संभागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर द्वारा दोषी अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की है तो उक्त कार्यवाही की अद्यतन जानकारी भी 03 दिवस में संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर.एस.तोमर)
अपर संचालक
लोक शिक्षण,मध्य प्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा)